भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 1141
उत्तर देने की तारीख - 23 मार्च, 2012

मोबाइल फोन से होने वाले विकिरण का स्तर

1141. श्री बैष्णव परिडा :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोबाइल निर्माताओं को विभिन्न ब्रांड्स के हैंडसैट्स द्वारा छोड़े जाने वाले विकिरणों के स्तर को दर्शाया जाना अनिवार्य बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि शोध से पता चला है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण हैंडसेट्स के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने मात्र से ही संचारित नहीं होती बल्कि टावरों और बेस स्टेशनों के द्वारा भी होती है ; और

(घ) मंत्रालय उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को कुछ कड़े नियमों के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठा रहा है ?

उत्तर
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) जी, हां।

(ख) मोबाइल फोनों से निकलने वाले विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) संबंधी विकिरण के प्रभाव की जांच करने के लिए इस विभाग द्वारा गठित अंतरमंत्रालयी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए दिनांक 25 जनवरी, 2012 के का0ज्ञा0 सं0 18-10/2008-आईपी के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं। सभी स्वदेशी विनिर्माताओं को 1 सितंबर, 2012 को या इससे पहले मोबाइल हैंडसेटों पर विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) वैल्यू को दर्शाने के लिए अनुदेशित किया गया है। अनुदेशों की प्रति अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) दूरसंचार टावरें (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) भी रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण के उत्सर्जन का स्रोत हैं। बेस ट्रांसीवर स्टेशनों से उत्सर्जित ईएमएफ विकिरण के दुष्प्रभाव संबंधी मानंदडों, जिनका एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों/सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारकों द्वारा अनुपालन किया जाना है, को दिनांक 4 नवंबर, 2008 के पत्र सं0 842-998/2008-एएस-IV/13 के तहत लाइसेंस शर्तों को संशोधित करते हुए निर्धारित किया गया है जिसे आगे दिनांक 30.12.2011 के पत्र सं0 800-15/2010-वीएएस (भाग) के तहत पुनः संशोधित किया गया है।

जारी....2

अनुबंध-क

सं0-18-10/2008-आईपी
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
निवेश प्रोन्नयन

1209, संचार भवन, 20, अशोक रोड
नई दिल्ली-1
दिनांक : जनवरी 25, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मोबाइल फोनों के लिए विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) मूल्य।

आपको यह विदित है कि सरकार ने मोबाइल फोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों को अपनाया था जिसके अनुसार मोबाइल फोनों के लिए विशिष्ट निरीक्षण दर मूल्य 10 ग्राम टिश्यु औसतन 2 वाट प्रति कि0ग्रा0 था।

2. इसके अतिरिक्त, मोबाइल फोनों और बेस स्टेशनों से ईएमएफ विकिरण के प्रभाव की जांच के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया था जिसमें दूरसंचार विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। समिति ने मोबाइल फोनों से होने वाले ईएमएफ विकिरण पर कुछ सिफारिशें दी थीं जिन पर इस विभाग में विचार किया गया था।

3. मुझे यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि बचाव उपाय के रूप में इस विभाग द्वारा मोबाइल फोनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार की गई हैं :-

(i) मोबाइल हैंडसेट के लिए एसएआर स्तर 1 ग्राम मानव टिश्यु परिमाण के औसतन पर 1.6 वाट/कि0ग्रा0 तक सीमित होगा।

(ii) हैंडसेट पर एसएआर स्तर प्रदर्शित करना होगा।

(iii) भारत के बाजार मे बेचे गए सभी सेल-फोन हैंडसेटों को संबंधित बीआईएस मानकों का अनुपालन करना होगा तथा ये हैंड फ्री डिवाइस के साथ होंगे।

(iv) मोबाइल हैंडसेटों की एसएआर वैल्यू संबंधी सूचना विनिर्माता की वेबसाइट तथा हैंडसेट की नियम-पुस्तिका में उपलब्ध होगी। एसएआर वैल्यू से संबधित सूचना उपभोक्ता को विक्रय केंद्र पर उपलब्ध होगी।

(v) भारत में निर्मित अथवा बेचे गए मोबाइल हैंडसेट अथवा अन्य देशों से आयात किए गए हैंडसेटों की एसएआर सीमा का अनुपालन करने के उद्देश्यार्थ जांच की जाएगी।

(vi) भारत में विनिर्माता, हैंडसेट के एसएआर वैल्यू की स्वयं घोषणा उपलब्ध कराएगा। अन्य देशों से आयात किए गए हैंडसेट के संबंध में, विनिर्माता एसएआर के स्वयं प्रमाणन के अतिरिक्त, उचित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के लिए अपने दस्तावेजों में एसएआर सूचना को विनिर्दिष्ट करेगा। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985 के नियम के कड़े अनुपालन करने के लिए उचित संशोधन किए जाएंगे।

(vii) विनिर्माता की मोबाइल हैंडसेट पुस्तिका में निम्नलिखित सुरक्षोपाय शामिल किए जाएंगे :-

(क) कम पावर ब्लूटूथ एमिटर के साथ बेतार हैंड-फ्री प्रणाली (हैडफोन, हैडसेट) का उपयोग करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि सेल फोन कम एसएआर पर रहे।

(ग) अपनी कॉलों को छोटी अवधि का रखें अथवा इसके बजाए टैक्स्ट मैसेज (एसएमएस) भेजें। यह सलाह विशेषकर बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए लागू होती है।

(घ) सिग्नल की गुणवत्ता अच्छी होने पर सेल-फोन का उपयोग करना।

(ङ) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई सक्रिय मेडिकल उपकरण लगाया हुआ है उन्हें ऐसे उपकरण से कम-से-कम 15 से0मी0 की दूरी पर सेल फोन रखना चाहिए।

(viii) विभिन्न मोबाइल फोनों से संबंधित एसएआर वेल्यू की सूची दूरसंचार विभाग/टीईसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे आपको यह अनुदेश देने का निर्देश हुआ है कि आप 1 सितंबर, 2012 अथवा उससे पहले उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन करने के मद्देनजर डिज़ाइन, साफ्टवेयर और पैकेजिंग में आवश्यक परिवर्तन करें। देशी और विदेशी सभी विनिर्माता, इस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एक प्रति सहित टीईसी को सीधे अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिकृत प्रयोगशाला अथवा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी), भारत द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला से प्रमाण-पत्र के आधार पर 1 ग्राम टिशु में औसतन 1.6 वाट प्रति कि0ग्रा0 के एसएआर वेल्यू के संबंध में स्वयं घोषणा-पत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार घोषित की गई एसएआर सीमा जब भी अपेक्षित हो टीईसी की जांच के अध्यधीन होगी।

(राजेश कुमार पाठक)
उप महानिदेशक (आईपी)
टेली : +91 11 2371542
www.dot.gov.in

सेवा में

1. सभी देशी मोबाइल विनिर्माता।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सेलूलर संघ, नई दिल्ली।
3. महा निदेशक, टीईएमए, नई दिल्ली।

प्रति :-

(i) वरिष्ठ उप महानिदेशक, टीईसी, खुर्शीदलाल भवन, नई दिल्ली।

(ii) वरिष्ठ उप महानिदेशक (बीडब्ल्यू) को सूचनार्थ।

(iii) निदेशक (आईटी) को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट करने तथा साथ ही टीईसी एसएआर वेल्यू पृष्ठ के साथ लिंक सृजित करने के लिए।